संख्याः 438/TC-238/ USRLM / IBCB/ 2017

प्रेषक,

**मिशन निदेशक,**
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

1– **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तराखण्ड।

2– **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**
उत्तराखण्ड।

3– **समस्त जिला मिशन प्रबन्धक,**
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन,
उत्तराखण्ड।

**ग्राम्य विकास विभाग यू.एस.आर.एल.एम. देहरादून दिनॉक 09 अगस्त 2018**

**विषयः– उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन सम्बन्धी परामर्शिका विषयक।**

महोदय/महोदया,

जैसा आप भिज्ञ है कि मिशन निदेशक/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास यू.एस. आर.एल.एम., एस.पी.एम.यू. के पत्र संख्या 504/100/एस.पी.एम.यू./आर.डी./2017 दिनॉक 26 जुलाई 2017 के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन संबंधी परामर्शिका के अन्तर्गत सी.आर.पी हेतु मानदेय का निर्धारण किया गया है।

अतः सघन विकास खण्डों में आन्तरिक सीनियर सी.आर.पी. द्वारा संस्थागत विकास की प्रकिया के अन्तर्गत ग्राम संगठन के गठन का कार्य किया जायेगा। इस क्रम में सीनियर सी.आर.पी. की चयन प्रकिया, कार्य तथा मानदेय की दरें निम्नानुसार है–

**1– सीनियर सी.आर.पी. हेतु चयन प्रकियाः–**

1.1 ऐसी अनुभवी सी.आर.पी. जो लगातार राउण्ड के दौरान क्षेत्र में समुदाय के साथ निरन्तर कार्यरत हों।

1.2 सी.आर.पी. का स्वयं का समूह एवं ग्राम संगठन, पंचसूत्र तथा एन.आर.एल.एम. के सिद्धान्तों/प्रकियाओं का नियमित पालन करता हो।

1.3 ऐसी सी.आर.पी. जो वाह्य सीनियर सी.आर.पी. राउण्ड के दौरान टैग हुई हो।

1.4 सी.आर.पी. ग्राम संगठन के निर्माण एवं गतिविधियों की पूर्ण जानकारी रखती हो।

1.5 सी.आर.पी. जो राउण्ड के दौरान आवंटित जनपदों/विकासखण्डों में जाने हेतु इच्छुक एवं सहमत हो।

1.6 सी.आर.पी. का स्वयं का समूह/ग्राम संगठन आजीविका सम्बन्धी गतिविधियां प्रारम्भ कर चुका हो।

1.7 इस प्रकार की सी.आर.पी. को जो अनुभवी हो, लगातार सी.आर.पी राउण्ड पर जाती रही हो, वाह्य सीनियर सी.आर.पी. राउण्ड के दौरान टैग होकर ग्राम संगठन के निर्माण एवं संचालन सम्बन्धी जानकारी रखती हो, को यू.आई.आर.डी. एण्ड पी.आर. में नेशनल रिसोर्स टीम द्वारा 6 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सीनियर सी.आर.पी. के दायित्व दिये जायेंगे।

**2— सीनियर सी0आर0पी0 के दायित्वः—**

2.1 सीनियर सी.आर.पी. द्वारा अपने विकासखण्ड को छोड़कर राज्य के विभिन्‍न विकासखण्डों/जनपदों में 2 सदस्यीय टीम द्वारा ग्रामों में सामाजिक गतिशीलन, ग्राम संगठनों का निर्माण, ग्राम संगठन के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी सम्पन्न कराएगी।

2.2 सीनियर सी.आर.पी. ग्राम संगठन की उपसमितियों के बारे में विस्तृत जानकारी, दस्तावेज तैयार करने हेतु अभ्यास तथा ग्राम संगठन के समुचित संचालन हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आधारभूत प्रशिक्षण एवं ग्राम संगठन में लेखा—जोखा करने वाली महिला बुक कीपर का चयन भी किया जायेगा।

2.3 सनियर सी.आर.पी. टीम द्वारा किये गये कार्यों की डायरी तैयार की जायेगी, उक्त प्रगति आख्या को निर्धारित प्रारूप में तैयार कर सी.आर.पी. राउण्ड समाप्त होने पर सम्बन्धित बी.एम.एम. को उपलब्ध कराया जायेगा। जो अभिलेख के रूप में सम्बन्धित बी.एम.एम.यू. कार्यालय में संरक्षित रहेगा। बी.एम.एम.यू. द्वारा उक्त रिपोर्ट को सत्यापित कर जिले के माध्यम से राज्य को प्रेषित किया जायेगा तथा एम.आई.एस. भी किया जायेगा।

**3— सीनियर सी.आर.पी. के हटाने के मानदण्डः—**

3.1 यदि किसी भी सी.आर.पी. के स्वयं के एस.एच.जी./ग्राम संगठन द्वारा पंचसूत्र तथा एन.आर.एल.एम. के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे एस.एच.जी. के सीनियर सी.आर.पी. से कार्य नही लिया जायेगा।

3.2 सीनियर सी.आर.पी. राउण्ड के दौरान कार्य व्यवहार संतोषजनक न पाये जाने की दशा में।

3.3 सीनियर सी.आर.पी. टीम का बी.एम.एम.यू. टीम के साथ समन्वय सही न होने की दशा में।

3.4 टीम में आपसी झगड़ा/मारपीट करने की दशा में।

**4— सीनियर सी0आर0पी0 का मानदेयः—**

| क.सं. | विवरण | लागत रूपये में |
|---|---|---|
| 1 | प्रति आन्तरिक सीनियर सी.आर.पी. का प्रतिदिन का मानदेय | 400.00 |
| 2 | प्रतिदिन सीनियर सी.आर.पी. का भोजन व्यय (सी.आर.पी. राउण्ड के दौरान अन्यत्र गांव में रात्रि विश्राम करने की दशा में देय) | 250.00 |
| 3 | बस/स्थानीय वाहन/रेल (स्लीपर क्लास का वास्तविक किराया यदि मिशन द्वारा आने जाने की व्यवस्था नही की गई हो तो) | वास्तविक सामान्य किराया के आधार पर देय |
| 4 | संस्थागत शुल्क प्रतिदिन प्रति सीनियर सी.आर.पी. की दर से (सी.आर.पी. के समूह को रू0 20.00 तथा ग्राम संगठन को रू0 30.00 देय शुल्क) | 50.00 |
| 5 | आकस्मिक/विविध व्यय प्रतिदिन प्रति सीनियर सी.आर.पी. | 25.00 |

**5— सीनियर सी0आर0पी0 प्रोटोकॉलः—**

सीनियर सी.आर.पी. टीम एक ग्राम में 07 दिनों के राउण्ड पर जायेगी। 07 दिनों में सीनियर सी.आर.पी. टीम के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां सम्पादित की जायेगी।

| | |
|---|---|
| प्रथम दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम के सदस्य ग्राम में गठित समूहों के सदस्यों के आम सभा की बैठक करेंगे। जिसमें समस्त गठित समूहों के सदस्य उपस्थित रहेंगे। जिसमें ग्राम संगठन के गठन पर चर्चा की जायेगी। |
| द्वितीय दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम ग्राम संगठन का गठन करेंगे। जिसमें प्रत्येक समूहों से दो–दो सदस्य चुन कर आयेगें, जिससे ग्राम संगठन संचालक मण्डल (EC) का गठन करेगें व ग्राम संगठन की अवधारणा पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। ग्राम संगठन स्तर पर विभिन्न समितियों का गठन भी करवाया जायेगा। |
| तृतीय दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम संगठन संचालक मण्डल (EC) को निम्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगें–<br>• ग्राम संगठन की अवधारणा<br>• ग्राम संगठन की बैठक के नियम<br>• ग्राम संगठन में सामुदायिक निवेश निधि के प्रबन्धन पर प्रशिक्षण<br>• ग्राम संगठन स्तर पर अपनायी जाने वाली अच्छी बातों पर उदाहरणों के माध्यम से चर्चा<br>• ग्राम संगठन को कैसे स्व– प्रबन्धन, स्व–मूल्यांकन, स्व–संचालित, एवं स्वयं निरन्तर कैसे चले इन विषयों पर प्रशिक्षण |
| चतुर्थ दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम समूहों की बैठक में जाकर समूह स्तर से ग्राम संगठन स्तर तक के बुक कीपिंग पर चर्चा करेगें व समूह से ग्राम स्तर पर बुक कीपिंग एवं प्रस्ताव कैसे पारित किये जायेंगे इस पर ग्राम संगठन के संचालक मण्डल को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। |
| पंचम दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम के द्वारा ग्राम संगठन को बुक कीपिंग पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। |
| षष्टम दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम ग्राम संगठन के फण्डफलो, सदस्यता शुल्क, शेयर धन, सी.आई.एफ. प्रबन्धन, एम.सी.पी. आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करेगें। |
| सप्तम दिवस | सीनियर सी.आर.पी. टीम सप्तम दिवस में–<br>• ग्राम संगठन के कार्याल की स्थापना।<br>• ग्राम संगठन के रोल।<br>• ग्राम संगठन के प्रक्रिया से लेकर प्रबन्धन एवं वित्तीय प्रबन्धन तक के चार्ट पेपरों को ग्राम संगठन में लगवाना।<br>• ग्राम संगठन में बैठक एजेण्डा तैयार करवाने की प्रकिया।<br>• ग्राम संगठन में समूहवार बैठने की प्रकिया।<br>• सामुदायिक निवेश निधि हेतु सुक्ष्म वित्त योजना के 07 चरण की प्रकिया पर चर्चा।<br>• ग्राम संगठन स्तर पर गठित कमेटियों पर चर्चा एवं प्रकिया।<br>• गठित कमेटियों की नियमावली।<br>• ग्राम संगठन स्तर पर रिपोर्ट तैयार कने की प्रकिया।<br>• अन्त में ग्राम संगठन की आम सभा में ग्राम संगठन के कार्यालय का उद्घाटन किया जायेगा। |

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आवश्यक निर्देश/परामर्शिका आदि, समय–समय पर यथा आवश्यकतानुसार यू0एस0आर0एल0एम0 राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, ग्राम्य विकास, द्वारा जारी किये जायेंगे।

ह0/
(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक ग्राम्य
विकास, उत्तराखण्ड शासन।

**प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–**

1– प्रमुख सचिव/मिशन निदेशक, ग्राम्य विकास, महोदया के अवलोकनार्थ।

2– संयुक्त सचिव (आर0एच0) ग्रामीण विकास मन्त्रालय, भारत सरकार, होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।

4– एम0आई0एस0, यू0एस0आर0एल0एम0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3– गार्ड फाईल।

(राम बिलास यादव)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0